

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

—: अधिसूचना :-

रॉची, दिनांक :- 11/9/19

अधिसूचना सं.-02/(एम.ए.सी.पी.)-17-01/2016.....5024...../राज्य कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने संबंधी योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-03/एम. 06/प्रो.-02/2002-5207/वि. दिनांक 14.08.2002 में निहित प्रावधानों के आलोक में दिनांक 08.08.2019 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में किये गये अनुशंसा के क्रम में झारखण्ड अभियंत्रण सेवा संवर्ग के सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता स्तर के पदाधिकारियों को सम्मर्ग में प्रथम योगदान से लगातार 12/24 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण कर लिये जाने के फलस्वरूप सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना अंतर्गत क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ स्तम्भ-04 एवं 05 में अंकित तिथि एवं वेतनमान में दिया जाता है।

राज्य कर्मियों को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने संबंधी योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या- 06/एस.-06/प्रो.-03/2009-2981/वि. दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के आलोक में उक्त समिति की उपरोक्त बैठक में किये गये अनुशंसा के क्रम में संबंधित पदाधिकारियों को सम्मर्ग में प्रथम योगदान की तिथि से लगातार 10/20/30 वर्ष सेवा पूर्ण कर लिये जाने के उपरान्त संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना अंतर्गत क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ स्तम्भ-06, 07 एवं 08 में अंकित तिथि एवं वेतनमान में दिया जाता है।

क्र०	नाम/पदनाम/आई० डी०/ गृह जिला/जन्मतिथि	सेवा में योगदान की तिथि	सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना		संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना			अभ्युक्ति
			प्रथम ए.सी.पी. योजना के तहत लाभ प्रदान करने हेतु स्वीकृति की तिथि (वेतनमान् सहित)	द्वितीय ए.सी.पी. योजना के तहत लाभ प्रदान करने हेतु स्वीकृति की तिथि (वेतनमान् सहित)	प्रथम एम.ए.सी.पी. योजना के तहत लाभ प्रदान करने हेतु स्वीकृति की तिथि (वेतनमान् सहित)	द्वितीय एम.ए.सी.पी. योजना के तहत लाभ प्रदान करने हेतु स्वीकृति की तिथि (वेतनमान् सहित)	तृतीय एम.ए.सी. पी. योजना के तहत लाभ प्रदान करने हेतु स्वीकृति की तिथि (वेतनमान् सहित)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी सहायक अभियंता (यॉ.)/ एम 436/समस्तीपुर/ 02.01.51/ सेवानिवृत्ति- 31.01.11	06.02.79	—	—	—	—	06.02.09 (वेतनमान् 37400- 67000, ग्रेड पे 8900)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह / सहायक अभियंता (यॉ.) / एम 598 / भागलपुर / 18.04.1952 / सेवानिवृत्ति- 30.04.12	08.02.79	—	—	—	—	08.02.09 (वेतनमान् 37400—67000, ग्रेड पे 8900)	
3	स्व. गुणाधर महतो / सहायक अभियंता (यॉ.) / एम 662 / राँची / 03.05.1952 / 31.05.2012 / मृत्यु की तिथि 23.11.13	09.02.79	—	—	—	—	09.02.09 (वेतनमान् 37400—67000, ग्रेड पे 8900)	
4	श्री सुबोध कुमार / कार्यपालक अभियंता (यॉ.) / एम०-004 / पू० सिंहभूम / 10.12.72	19.11.07	—	—	19.11.17 (वेतनमान् 15600—39100, ग्रेड पे 5400)	—	—	
5	श्री रामेश्वर रविदास / कार्यपालक अभियंता (यॉ.) / एम०-006 / गिरिडीह / 05.03.75	20.11.07	—	—	20.11.17 (वेतनमान् 15600—39100, ग्रेड पे 5400)	—	—	
6	श्री आनन्द किशोर तोपनो / कार्यपालक अभियंता (यॉ.) / एम०-007 / गुमला / 01.03.78	19.11.07	—	—	19.11.17 (वेतनमान् 15600—39100, ग्रेड पे 5400)	—	—	
7	श्री सुरजीत विनोद तोपनो / सहायक अभियंता (यॉ.) / एम०-008 / राँची / 27.06.75	19.11.07	—	—	19.11.17 (वेतनमान् 15600—39100, ग्रेड पे 5400)	—	—	

यह वित्तीय उन्नयन निम्नांकित शर्तों के अधीन देय है :-

1. सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना दिनांक 09.08.99 से प्रभावी है किन्तु इसके अंतर्गत वित्तीय लाभ दिनांक 15.11.2000 से देय होगा।
2. संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना दिनांक 01.09.2008 से प्रभावी है।
3. संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना एवं सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।
4. सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना एवं संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना हेतु संबंधित कर्मियों के वेतन का निर्धारण क्रमशः वित्त विभाग के संकल्प सं.-5207 दिनांक 14.08.2002 एवं 2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा।
5. जिन सेवानिवृत्त पदाधिकारियों द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक-1365 दिनांक 07.04.2017 के आलोक में घोषणा-पत्र समर्पित नहीं किया गया है, उन्हें भुगतान प्राप्ति के पूर्व सक्षम प्राधिकार को घोषणा-पत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
6. मंत्रिमंडल समन्वय एवं निगरानी विभागसे निगरानी स्वच्छता प्रतिकूल पाये जाने पर यह वित्तीय उन्नयन लाभ तदनुसार प्रभावित होगा।

7. संबंधित किसी भी पदाधिकारी के संदर्भ में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उन्हें प्रदत्त ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा किसी कारणवश देय वेतन से अधिक भुगतान का मामला प्रकाश में आने पर अतिरिक्त भुगतान की गयी राशि की एक मुश्त वसूली कर ली जायेगी और इसके विरुद्ध किसी प्रकार का दावा सरकार या न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रदीप कुमार गुप्ता)
उप-सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :- 5024

राँची, दिनांक :- 11/9/19

प्रतिलिपि:- अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को अधिसूचना की तीन मूल प्रतियों के साथ गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट में प्रकाशनोपरांत प्रकाशित गजट की 200 (दो सौ) प्रतियाँ विभाग को अभिलेख हेतु भेजने की कृपा की जाय।

(प्रदीप कुमार गुप्ता)
उप-सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :- 5024

राँची, दिनांक :- 11/9/19

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अभिलेख से योगदान की तिथि एवं सेवा में टूट संबंधी आवश्यक जाँच कर वेतन पुर्जा निर्गत किया जाय।

(प्रदीप कुमार गुप्ता)
उप-सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :- 5024

राँची, दिनांक :- 11/9/19

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, मानव संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल समन्वय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, राँची/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव (प्रबंधन कोषांग सहित)/ सभी संबंधित मुख्य अभियंता/ सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता/ सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता/ सभी संबंधित अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ प्रशाखा पदाधिकारी-01, 02/ वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार गुप्ता)
उप-सचिव (प्र०)